न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 18/2018 **दायरा दिनांक : 16.02.2018**

उनवान

पन्ना लाल पुत्र भवाना, जाति किराड, निवासी गेहूंखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1— नन्दलाल पुत्र पन्ना लाल, जाति किराड, निवासी गेहूंखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान

2— रामचन्द्र पुत्र भवाना, जाति किराड, निवासी गेहूंखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान

3— भंवरलाल पुत्र भवाना, जाति किराड, निवासी गेहूंखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान

4— केशनसिंह पुत्र भवाना, जाति किराड, निवासी गेहूंखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान

5— गिरिराज पुत्र भवाना, जाति किराड, निवासी गेहूंखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान

6— सम्पत बाई पुत्री भवाना पत्नी शंकरलाल, जाति किराड, निवासी भण्डावत, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

7— कालू माता लछमा बेटा बापूलाल, जाति किराड, निवासी भण्डावत, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

8— सुगन पुत्री लछवा बेटी बापूलाल, पत्नी दयाराम, जाति किराड, निवासी भोलू, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

9— कंचन बाई बेवा भवाना, जाति किराड, निवासी गेहूंखेड़ी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान

10– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री इन्द्रलाल गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री रविशंकर विजय एवं श्री बी एल माहेश्वरी

अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.12.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 37/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपीलांट द्वारा अपील निम्न आधार पर पेश की गई है कि नन्दलाल ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के यहां पेश किया कि ग्राम गेहूंखेड़ी के माल में खतौनी संख्या 206की 8 किता की 10 बीघा 9 बिस्वा तथा ग्राम बिन्दायका के माल में खतौनी संख्या 279 की 3 किता की 13 बीघा 10 बिस्वा आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 2 लगायत 9 के शामलाती खाते में स्थित है । उक्त आराजी रेस्पोडेंट नन्दलाल की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें उसे अपने पिता पन्नालाल का पुत्र होने के कारण उसके हिस्से की आराजी में जन्म से ही अधिकार प्राप्त है । जिसमें उसने अपना हिस्सा पिता के जीवन काल में ही अपने खाते दर्ज कर विभाजन कराने हेतु दावा पेश किया था । अपीलांट ने सभी तथ्यों को इंकार किया है और यह आपत्ति की है कि नन्दलाल रेस्पोडेंट

नम्बर 1 अपीलांट का वैध पुत्र नहीं है । अतः उसे पन्नालाल अर्थात् अपीलांट की आराजी में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम की गई । (1) आया वाद की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी प्रतिवादी पन्नालाल के हिस्से की पुश्तैनी जायदाद है एवं उसमें वादी 1/8 का 1/2 भाग अर्थात् 1/16 भाग का खातेदार टीनेन्ट घोषित होकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है । (2) आया नन्दलाल प्रतिवादी नम्बर 1 पन्नालाल का पुत्र नहीं है । (3) आया भवाना की पुत्री कंचन बाई वाद में आवश्यक पक्षकार है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य ली एवं तनकी नम्बर 2 का निर्णय करते हुए नन्दलाल वादी के बयानों तथा उसके द्वारा पेश किये गये गवाहों के बयानों को सही प्रकार से नहीं पढ़ा । नन्दलाल पी डब्ल्यू 1 अपनी जिरह में स्वीकार करता है कि उसकी मॉ लगभग 30–35 वर्षों से अलग रहती है । वादी की उम्र 24 साल बयान के समय दिनांक 07.11.2012 को बतायी गयी है । जबकि गवाह स्वयं का जन्म 28–29 साल पहले होना वर्णन करता है तथा पी डब्ल्यू 2 स्वयं वादी की माता अपनी जिरह में स्वीकार करती है कि 35 वर्ष से वह पन्नालाल से अलग रहती है । अतः इस आधार पर यह पूर्णतया साबित है कि नन्दलाल पन्नालाल का पुत्र प्रमाणित नहीं होता है । एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस साक्ष्य का कोई विवेचन नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में भूल की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि नन्दलाल पन्नालाल की संतान नहीं है एवं इसको सिद्ध करने का भार अपीलांट का था जो वो नहीं कर सके हैं । सम्पत बाई के बयानों में पन्नालाल नन्दलाल का पुत्र होना प्रदर्शित किया गया है और वोटर लिस्ट पर भी अपीलांट द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है । अतः नन्दलाल पन्नालाल का ही पुत्र है एवं उसकी आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं मनन किया गया । पत्रावली में दस्तावेज के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि वर्णित आराजी नन्दलाल के पुत्र पन्ना लाल की पुश्तैनी आराजी है । नन्दलाल पन्नालाल का पुत्र है अथवा नहीं । इसको सबसे अच्छी साक्ष्य नन्दलाल की माता सम्पत बाई ही हो सकती है । सम्पत बाई ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि मैं 30–35 वर्षों से पन्नालाल के साथ नहीं रह रही हूं एवं 30–35 वर्षों से मेरा और पन्नालाल का कोई सम्पर्क नहीं है तथा अंतिम पक्ति में उसने यह भी कहा है कि नन्दलाल मेरा व पन्नालाल का ही पुत्र है जो Controdictory है क्योंकि नन्दलाल की उम्र 24–25 वर्ष बतायी गई है । अन्य गवाह जमीद मोहम्मद, कल्याण सिंह आदि में भी यह कथन किया है कि सम्पत बाई पन्ना लाल से लगभग 15–16 वर्षों से अलग रह रही है । साथ ही यह कथन किया गया है कि सम्पत बाई पन्नालाल के मकान में ही रह रही है । नन्दलाल स्वयं की साक्ष्य में जिरह के दौरान यह कथन किया गया है कि मेरी मॉ पन्नालाल से 30–35 वर्षों से अलग रह रही है लेकिन मेरे पिता घर आते जाते रहते हैं जां पुनः विरोधाभासी है । साक्ष्य स्वरूप वोटर लिस्ट की प्रति भी

पेश की गई है जिसमें नन्दलाल पन्नालाल का पुत्र बताया गया है एवं सम्पत बाई को पन्ना लाल की पत्नी बताया गया है जिरह एवं दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट है कि पन्ना लाल एवं सम्पत बाई का यद्यपि कभी तलाक नहीं हुआ है परन्तु वे एक दूसरे के साथ पिछले कई वर्षों से नहीं रह रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसके अनुसार नन्दलाल का जन्म कब वं कहा हुआ इसकी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त नहीं की गई है । इस तरह के प्रकरणों में गवाह के रूप में कुछ मौजीज व्यक्तियों एवं ग्राम पंचायत की साक्ष्य भी प्राप्त की जा सकती है । माता सम्पत बाई के बयानों में जो जिरह की है वह विरोधाभास उत्पन्न करती है । अतः यह पूर्ण रूप से साबित नहीं है कि नन्दलाल पन्ना लाल की ही जाइंदा औलाद है । अतः इस सम्बन्ध में आई. एल. आर स्तर के अधिकारी से जांच करवाया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त सम्बन्ध में नन्दलाल पन्ना लाल का पुत्र है अथवा नहीं इसका अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी प्राप्त करें, आई. एल. आर. स्तर के अधिकारी कर्मचारी से जांच रिपोर्ट प्राप्त करें। ग्राम पंचायत के कुछ मौजीज लोगों के बयान भी जांच में शामिल किये जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः साक्ष्य व जांच तथा गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.03.2019 को उपस्थित होवें।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा